

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.08.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कस्तुरी लाल पासवान पुत्र रामवरन पासवान निवासी ग्राम शुक्लागंज चौकी महदईया थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-193/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बसन्ता पिता कमला प्रसाद उर्फ हगनू निवासी गैलनग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-216/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. त्रिवेनी पुत्र बलई लोनिया निवासी अधेरवा सरईया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-182/21, 02. अमेरिका चौहान पुत्र हनुमान चौहान निवासी अधेरवा सरईया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-183/21, 03. पवन कुमार पुत्र बाबूराम वर्मा निवासी कुम्हारन पुरवा दुबई थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-184/21, 04. हरि प्रसाद उपाध्याय पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी उपाध्यायपुरवा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-184/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सियाराम पुत्र फूलचन्द निवासी ग्राम जैतपुर थाना नवाबगंज जनपद जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-222/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मैलू उर्फ समसुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन नि० लोनाव दरगाह थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-202/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामसिंगार पुत्र स्व० ननकऊ नि० खिरौरा मोहन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-301/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.08.2021

नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-213/21, धारा 354क,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रंजीत पुत्र सत्यनारायन नि0 ग्राम दुबौली थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-213/21, धारा 354क,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.07.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-214/2021 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की की माता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संतोष पुत्र रामचंद्र नि0 ग्राम बखरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-214/2021 धारा 363 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.08.2021

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0—192/21, धारा 380 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लम्बू उर्फ सफरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी मो0 असलम सिद्दकी के आटा चक्की से 03 बोरी गेहूँ चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. लम्बू उर्फ सफरोज पुत्र खैराती नि0 टठेरी मोहल्ला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—192/20, धारा 380.411 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 राम आशीष मौर्य मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.08.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रमेश कुमार मौर्या को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रमेश कुमार मौर्या पुत्र स्व० बृजलाल नि० गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-300/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 800 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० सुनील कुमार रावत मय टीम।

